न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 490 सन 2018

अनवान :–

1. दीपचन्द पुत्र दलुराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री हवासिह अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10/12/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 582/448 की 2.8083हैक भूमि में वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के नाम वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वदी को दीपचन्द एवं दीपाराम दोनो नामों से जाना जाता था सहवन से विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम दीपाराम पुत्र दलुराम दर्ज हो गया है लेकिन अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम दीपचन्द पुत्र दलुराम दर्ज है दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

वादी के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम दीपचन्द दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम दीपाराम दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें की अधिकारी है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 582/448 की 2.8083हैक भूमि में वादी 1/2 हिस्सा दीपनाराम दर्ज है के स्थान पर दीपचन्द राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 582/448 की 2.8083हैक भूमि में वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के नाम वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वदी को दीपचन्द एवं दीपाराम दोनो नामों से जाना जाता था सहवन से विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम दीपाराम पुत्र दलुराम दर्ज हो गया है लेकिन अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम दीपचन्द पुत्र दलुराम दर्ज है दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

वादी के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम दीपचन्द दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम दीपाराम दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें की अधिकारी है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 582/448 की 2.8083हैक भूमि में वादी 1/2 हिस्सा दीपनाराम दर्ज है के स्थान पर दीपचन्द राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पेरोंकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 582/448 की 2.8083हैक भूमि में वादी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का नाम दीपाराम पुत्र दलुराम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय दीपचन्द के स्थान पर दीपाराम दर्ज किया गया है सही नाम दीपचन्द है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम दीपचन्द पुत्र दलुराम दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत धानसिया के अनुसार भी दीपचन्द एवं दीपाराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है सही नाम दीपचन्द है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जबाब के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत धानसीया के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 582/448 की 2.8083हैक्‍ भूमि में वादी 1/2 हिस्सा में दीपाराम पुत्र दलुराम दर्ज है के स्थान पर दिपचन्द्र पुत्र दलुराम संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. दीपचन्द पुत्र दलुराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 490 सन 2018 निर्णय दिनांक– 10/12/19

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 582/448 की 2.8083हैक्‍ भूमि में वादी 1/2 हिस्सा में दीपाराम पुत्र दलुराम दर्ज है के स्थान पर दिपचन्द पुत्र दलुराम संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/12/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)